उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

पत्रांक 41249–22 /वसूली / 17–18 दिनांक: 12–01–2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्र0का0 कार्यालय के परिपत्र सं0 सी0–94 / वसूली कार्यक्रम / 17–18 दि0 16.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वसूली कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। साथ ही साथ कतिपय विवरण पत्र मासिक रूप से मुख्यालय को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी। उक्त अपेक्षा के क्रम में आपके द्वारा समस्त बकायेदारों का विवरण पत्र माह दिसम्बर 17, मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया गया है। आप द्वारा प्रेषित समस्त बकायेदारों के विवरण पत्र में शाखा की आच्छादित कुल आर0सी0(संख्या एवं धनराशि) एवं उनमें हुई वसूली(संख्या एवं धनराशि) का विवरण प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में आप सभी अवगत है कि प्रदेश में समस्त विभागों / बैंकों द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) को आर0सी0 जारी करने हेतु प्रेषित की जाती है साथ ही साथ प्रदेश के राजस्व विभाग की जनपदीय वेबसाइट पर आनलाईन दर्ज भी कराई जाती है। जिसमें पुरानी आर0सी0 को देखने एवं नई आर0सी0 अपलोड करने का कार्य किया जाता है। जिनका जनपदवार विवरण राजस्व विभाग की वेवसाइट पर अंकित रहता है।

उपर्युक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा मुख्यालय को प्रेषित **समस्त बकायेदारों के विवरण पत्र में कुल दर्शित आर0सी0 का मिलान जनपद की राजस्व विभाग की वेवसाइट पर दर्ज आर0सी0 से मिलान तत्काल कर लें। उक्त के मिलान / अपलोड के पश्चात तत्काल मुख्यालय को सही–सही आर0सी0 की सूचना संख्या एवं धन0 व वसूली सं0 धन0 सहित अपने मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चत करें।** इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय प्रबन्धक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, उ0प्र0, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के क्रम में अपने मण्डल की शाखाओं से सूचना प्राप्त कर संकलित कराते हुए तत्काल मुख्यालय के वसूली अनुभाग को प्रेषित करें।
2. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, प्र0का0 / प्रशि0 केन्द्र लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराएं।
3. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की शााखाओं को ई0मेल0 कराने हेतु।

(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)